न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी जिला–पाली

पीठासीन अधिकारी– श्रीमति राजलक्ष्मी गहलोत (R.A.S.)
राजस्व विविध संख्या – 10/2020
तारीख दायरा – 17.03.2020

प्रार्थीनी :–

गंगा पुत्री खरताराम (पत्नी भुराराम) आयु–वयस्क
जाति– जणवा चौधरी, निवासी– दुदापुरा, तहसील–देसूरी
हाल निवासी बेडल तहसील–बाली, जिला–पाली, राजस्थान।

–: विरूद्ध :–

अप्रार्थीगण :–

1. हीराराम पुत्र नन्दारामजी आयु–वयस्क जाति–घांची
2. कानाराम पुत्र नन्दरामजी आयु–वयस्क जाति– घांची
3. पोकरराम पुत्र नन्दरामजी आयु–वयस्क जाति–घांची
4. ओगडराम पुत्र नन्दरामजी आयु–वयस्क जाति–घांची
5. नवाराम पुत्र खरताराम आयु–वयस्क जाति– जणवा(सिरवी)
6. रामाराम पुत्र कुपारामजी आयु–वयस्क जाति– जणवा(सिरवी)
7. नेमाराम पुत्र भिकारामजी आयु–वयस्क जाति– जणवा(सिरवी)
8. राजाराम उर्फ राजुराम पुत्र भिकारामजी आयु–वयस्क जाति– जणवा(सिरवी)
9. वालाराम उर्फ गोपाल पुत्र भिकारामजी आयु–वयस्क जाति– जणवा(सिरवी)
   तमाम निवासीगण– दुदापुरा, तहसील–देसूरी, जिला–पाली (राज.)

(वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 92ए आर.टी.एक्ट. 1955)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. एवं धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति–

1– प्रार्थीनी की ओर से – वकील दिनेश कुमार माली।
2– अप्रार्थी संख्या 01 व 03 की ओर से– वकील सुधीर श्रीमाली।
3– अप्रार्थी संख्या 5 से 7 की ओर से – वकील बाबुलाल कुम्हार।
4– अप्रार्थी संख्या 2, 4, 8 व 9 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही।

–: निर्णय :– दिनांक– 28/7/2022

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajlaxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested

1– प्रकरण हाजा के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध श्रीमान न्यायालय में वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89, 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया जिसमें प्रार्थीनी को सफलता मिलने के पूर्ण आसार और आधार विद्यमान है।

पेज लगातार 02 पर...

सहायक कलक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

(उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली))

2– प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–212 राज. काश्त. अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम दुदापुरा पटवार हल्का दुदापुरा तहसील देसूरी जिला पाली के पुराने खसरा नम्बर 92 से लगाय 97 कुल खसरा 6 कुल रकबा 57 बिघा 13 बिस्वा लगान 109/– रूपये की सहखातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीनी के दादा कुपा पुत्र डायाजी के खातेदारी हक अधिकार की विद्यमान थी, जिनका निर्वसीयती स्वर्गवास पर प्रार्थीनी के पिता को विरासत से 1/3 हिस्सा के सहखातेदारी हक अधिकार निहित हुए प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2018–21 के खाता संख्या 4 एवं नामान्तरकरण संख्या 26 की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रार्थीनी के पिता खरताजी का निर्वसीयती स्वर्गवास के समय पुत्री प्रार्थीनी, पत्नी भिखी और पुत्र नवाराम उत्तरजीवी उत्तराधिकारी थे। प्रार्थीनी तत्कालिन समय मे नाबालिग थी। जमाबंदी सम्वत् 2024–27 के खाता संख्या 31 में खरताराम के पुत्र कुपारामजी के स्थान पर बिना किसी विधिक आदेश या अधिकार के खरताराम के पुत्र नवाराम का नाम का इन्द्राज कर दिया जो इन्द्राज प्रार्थीनी के हक अधिकारों के प्रति अवैध शुन्य और निष्प्रभावी है। गत 07 वर्ष पुर्ण प्रार्थीनी की माता भीखीबाई का स्वर्गवास होने से प्रार्थीनी और अप्रार्थी नवाराम को स्वर्गीय खरताजी की तमाम चल अचल सम्पत्तियों में जायंदा पुत्र पुत्री होने से बराबर के हक अधिकार निहित होकर संयुक्त कब्जा काश्त प्राप्त होकर चले आ रहे है।

3– यह कि पद संख्या 01 में वर्णित पुराने खसरान के दौराने भू–प्रबंध बने नये खसरा नम्बर 321 रकबा 02.5800 हेक्टर किस्म चा.जा.दो, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.1800 हेक्टर किस्म गे.मु. मार्ग कुल क्षेत्रफल 02.7600 हेक्टर संपूर्ण और खसरा नम्बर 319 रकबा 0.1000 हेक्टर किस्म गे.मु. बेरा का 1/3 हिस्सा सम्पूर्ण का बेचान जरिये विक्रय विलेख दिनांक 21.02.1994 को बिना किसी विधिक हक अधिकार के अप्रार्थी संख्या 05 नवाराम ने अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के पक्ष में कर दिया गया जो प्रार्थीनी को अपने पिता खरताराम के स्वर्गवास पर विरासत से निहित 1/2 हिस्सा को समायोजित कर बेचान करने से उक्त विक्रय विलेख दिनांक 21.02.1994 प्रार्थीनी के हक अधिकारों के विपरित अवैध शुन्य एवं निष्प्रभावी है। विक्रय विलेख दिनांक 21.02.1995 के जरिये सम्पूर्ण खाते में अप्रार्थी संख्या 01 से 04 के नाम इन्द्राज के आदेश भी प्रारम्भतः शुन्य और निष्प्रभावी होने से प्रार्थीनी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी में वाद प्रस्तुत किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested

4– यह कि वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थी सं... को सम्पूर्ण हक अधिकार प्राप्त नहीं थे ना ही स्वर्गीय खरताराम ... खातेदारी हक अधिकारों को बेचान करने का हक अधिकार प्राप्त था। ... आराजी में खरता पुत्र कुपाजी के वारिसान में एकमात्र नवाराम का गलत नाम इ...ज होने से नवाराम को खरताजी में निहित सम्पूर्ण हक अधिकार की आराजी में किसी प्रकार से सम्पर्ण हक अधिकार निहित नहीं होकर 1/3 हिस्सा के हक अधिकार निहित थे, शेष हिस्सा 1/3 के हक

पेज लगातार 03 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ., देसूरी (पाली)

अधिकार प्रार्थीनी की माता भीखीबाई और 1/3 हिस्सा के हक अधिकार प्रार्थीनी को निहित थे। जिससे दिनांक 21.02.19994 को अप्रार्थी संख्या 05 के अप्रार्थी संख्या 01 से 04 को 1/3 हिस्से के हक अधिकारों का बेचान किया गया है। आज से 07 वर्ष पूर्ण प्रार्थीनी की माता भीखीबाई का निर्वसीयती स्वर्गवास होने से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी और अप्रार्थी संख्या 05 को बहिस्सा बराबर हक अधिकार निहित होने से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी को 1/2 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 05 को 1/6 हिस्सा तथास अप्रार्थी संख्या 01 लगाए 04 को 1/3 हिस्सा रहे है जिससे प्रार्थीनी ने बाबत खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा का वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट भी पेश किया है।

5- यह कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीनी को अपने पिता के जीवनकाल से ही जन्म से ही संयुक्त कब्जा काश्त प्राप्त है, जिसमें नाजायज हस्तक्षेप या दखलन्दाजी इत्यादी करने का अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से हक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रार्थीनी द्वारा गत वर्ष 2019 में अपने कुएं पर स्थित मंदिर पर दर्शन करने गई तब देखा की वादग्रस्त आराजी की माठ पर अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 04 द्वारा तोड दी गई है। प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 04 से सम्पर्क करना चाहा तो उन्होने बताया कि "सम्पूर्ण बेरा हमने खरीद लिया है, जिससे हक अकेले खातेदार होने से अब तुम्हारा कोई हक अधिकार नहीं है और तुमे जोर-जबरदस्ती बेदखल कर देगें।" जिस पर प्रार्थीनी ने संबंधित पटवारी से सम्पर्क किया और खाता चैक कराया तो जानकारी में आया कि सम्पुर्ण खाते की आराजी में प्रार्थीनी का नाम गलत रूपेण विलोपित करवा दिया गया है। प्रार्थीनी ने अपने भाई अप्रार्थी संख्या 05 नवाराम को पुछा तो बताया कि " मेने सिर्फ मेरे हिस्से की भूमि बेची थी तुम्हारे हिस्से की आराजी मौके पर मौजुद है, मैं काश्त कर रहा हुं।" अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 05 एक राय होकर प्रार्थीनी के संयुक्त कब्जे काश्त की आराजी पर बुरी नजर बनाये हुए है। जिससे संयुक्त कब्जा काश्त किया जाना संभव नहीं होने से वादग्रस्त आरजी का विभाजन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स द्वारा कराये जाने हेतु वाद अन्तर्गत धारा 53, 89 आर.टी एक्टर भी प्रार्थीनी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत किया गया है।

6- यह कि प्रार्थीनी को वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 04 द्वारा जोर-जबरदस्ती बेदखल करने और प्रार्थीनी को निहित हक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई हक अधिकार नहीं है। फिर भी अप्रार्थीगण द्वारा धमकियां देने और वादग्रस्त अराजी को आगे से आगे बेचान करने [illegible] आराजी में प्रार्थीनी को निहित 1/2 हिस्सा के हक अधिकारों की सुरक्षार्थ और प्रार्थीनी को अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 04 द्वारा वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा का वाद प्रार्थीनी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण धारा 88, 92ए आर.टी.एक्ट पेश किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

पेज लगातार 04 पर...

7– यह कि मूल वाद के निर्णय में काफी समय लगेगा। प्रार्थीया महिला काश्तकार है जिसे वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 321, 320 कुल रकबा 02.7600 हेक्टर की आराजी से जोर जबरदस्ती बेदखल करने की धमकिया देने, प्रार्थी खातेदारी हक अधिकार और हिस्सो को चुनौती देने, जोर जबरदस्ती गाठ तोडने और हिस्सों का विवाद करने से उक्त आराजी इन मिडयों हो गई है जिससे प्रार्थीनी महिला खातेदार के खातेदारी हक अधिकारों और आराजी की सुरक्षार्थ वादग्रस्त आराजी के विभाजन तक रिसीवर के कब्जा में दीलाई जाकर काश्त कराये जाने हेतु प्रार्थीनी ने प्रार्थना पत्र धारा 212 बाबत निषेधाज्ञा का पेश किया है।

8– प्रार्थीया महिला है अप्रार्थीगण पुरूष होकर संख्या में अधिक होने से प्रार्थीयां को निहित खातेदारी हक अधिकारों की सुरक्षार्थ निषेधाज्ञा और रिसिवर के आदेश नहीं दिय जाते है तो प्रार्थीया को वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थीगण जोर जबरदस्ती बेदखल कर दिया जायेगा, प्रार्थीया काश्त से वंचित हो जायेगी, अप्रार्थीगण का खाते में नाम होने से अप्रार्थीगण विशेष भूमि को आगे से आगे बेचान, हस्तान्तरण कर देंगे, भारग्रस्त कर देगें, एवं रूपान्तरण कर खुर्द–बुर्द कर देगं जिससे प्रार्थीनी को अपुर्णीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति रूपयों पैसों में की जाना संभव नहीं है। सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है।

9– प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण के विरूद्ध मौजा ग्राम दुदापुरा पटवार हल्का दुदापुरा तहसील देसूरी जिला पाली के खसरा नम्बर 321 रकबा 02.5800 हेक्टर किस्म चा.जा.दो, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.1800 हेक्टर किस्म गे.मु. मार्ग कुल क्षेत्रफल 02.7600 हेक्टर संपूर्ण और खसरा नम्बर 319 रकबा 0.1000 हेक्टर किस्म गे.मु. बेरा का 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सों की प्रार्थीया को निहित खातेदारी हक अधिकारों की आराजी में इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रार्थीया को अप्रार्थीगण और उनके एजेंट प्रतिनिधिगण जोर जबरदस्ती बेदखल नहीं करें और ना ही किसी अन्य से करावें, वादग्रस्त आराजी के विशेष भू–भाग का बेचान, हस्तान्तरण या भारग्रस्त नहीं करें, वादग्रस्त आराजी को खुर्द–बुर्द और नष्ट नहीं करें, कृषि भूमि को अकृषि में तब्दील नहीं करें ना ही करावें। वादग्रस्त आराजी के खसरा संख्या 321, 320 की आराजी को रिसिवर के कब्जा दी जाकर काश्त कराया जाकर माफिक हिस्सा काश्त की राशि प्रार्थीयां को दिलाई जावें अन्य सहायता जो प्रार्थीया के हक में हो प्रार्थीया को प्रदान कराई जावे।

10– प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस तलब किया गया। बाद तलबी के अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता सुधीर श्रीमाली एवं अप्रार्थी संख्या 5,6,7 की ओर से अधिवक्ता बाबुलाल कुम्हार ने वकालत नामा पेश किया गया, जो शामिल मिसल किया गया। अप्रार्थी संख्या 2, 4, 8 व 9 बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पेज लगातार 05 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested

11- अप्रार्थी संख्या 1 व 3 की ओर से जबाव प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीनी ने गलत वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है जो प्रथमदृटया सफल होने योग्य नहीं है प्रार्थना पत्र सुविधा संतुलन प्रार्थीनी के पक्ष में नहीं है। पद संख्या 1 जवाब है कि पुराने खसरा नम्बर 92 के 97 कुल रकबा 57 बीघा 13 बिस्वा के नये खसरा नम्बर क्या-क्या बने, वर्णित नहीं है तथा उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि स्व. कुपाराम के तीनों पुत्रों को कैसे, कब विभाजित हुई, वर्णित नहीं है। प्रार्थीनी के दादा का स्वर्गवास कब हुआ जिसका भी वर्णन नहीं है। सम्पूर्ण वादपत्र विधिविरूद्ध, अस्पष्ट व अपूर्ण है। प्रार्थीनी के पिता का स्वर्गवास कब हुआ तथा प्रार्थीनी के भाई अप्रार्थी संख्या 5 का नाम किस आधार पर दर्ज, कब दर्ज हुआ जिसका भी वर्णन नही है। उक्त इन्द्राज को प्रार्थीनी ने कई भी चुनौती नहीं दी। यह गलत है कि नवाराम अप्रार्थी संख्या 5 ने लगत इन्द्राज करवाया है। प्रार्थीनी की शादी कब हुई तथा कब अपने पिता/दादा का परिवार छोडा एवं कब से परिवार की सदस्या व सहदायिकी नहीं रही ऐसा कोई भी तथ्य, सत्यता स्पष्ट नहीं है। उक्त सम्पूण वास्तविकता, सत्यता को प्रार्थीनी ने जानबूझकर छिपाया जाकर मात्र अप्रार्थी सं. 1 लगाय 4 को लम्बे समयान्तराल के बाद नाजयाज नुकसान पंहुचाने की बदनियति से वाद गलत प्रस्तुत किया है धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का प्रभाव भूतलक्षी नहीं है। वाद निरस्त योग्य है।

12- पद संख्या 3 के जवाब में यह है कि पद सं. 3 वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। पुराने ख.न. 92 से 97 के नये ख.न. 319, 321 व 320 ही नहीं बने है जिस संबंध मे कोई वर्णन नहीं है। जबकि शेष नये खसरा नम्बरो 317,318 के खातेदारों को भी अप्रार्थीगण बनाया गया है उक्त विभाजन को भी चुनौती नहीं दी है। प्रश्नगत बेचान दिनांक 21.02.1994 अपार्थी सं. 1 लगाय 4 के पक्ष में पंजीकृत है तथा विधिनुसार भी वैध व प्रभावी है तथा वक्त बेचान के दिनांक 21.02.1994 को ही विकयसुदा कृषिभूमि का कब्जा अप्रार्थी सं. 1 लगाय 4 को सुपुर्द कर दिया था तब से आज तक काबिज-काश्त है जिसकी जानकारी प्रार्थीनी को भली-भांती है। इस कृषि भूमि के सटते ही प्रार्थीनी के परिवार के सदस्यों की अन्य कृषि भूमिया है। जहा पर प्रार्थीनी इन 26 वर्षो के लम्बे अंतराल मे कई बार आई है जिसके बावूद इतने लम्बे वर्षो बाद अन्या लोगों तथा अप्रार्थी सं. 5 व उसके पुत्रों की गलत सिखावट से यह लगत प्रार्थना पत्र पेश किया है।

13- प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में वर्णित सम्पूर्ण तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण अप्रार्थी संख्या 5 [illegible] थी, जिसका भी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज तथा बहैसियत खातेदार के [illegible] मा. कब्जा-काश्त विद्यमान रहा। जिससे अप्रार्थी सं. 1 लगाय 4 [illegible] से अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 4 ने खसरा नम्बर 321, 320 कुल रकबा 2.[illegible] हेक्टर सम्पूर्ण तथा बेरा ख.नं. 319 का 1/3 हिस्सा का सन् 1994 में विद्यमान स[illegible] बाजारू किमत अप्रार्थी संख्या 5 को अदा कर विकय विलेख दिनांक 21.02.1994 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। जिससे यह गलत है कि प्रार्थीनी का 1/3 हिस्सा, मृत भीखी का 1/3 हिस्सा

पेज लगातार 06 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस. डी. ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested

हो। प्रार्थीनी की माता की मृत्यु 7 वर्ष पूर्व होने पर भी प्रार्थीनी ने कोई एतराज नहीं किया। मात्र रास्ते से संबंधित अप्रार्थी सं. 1 लगाय 4 तथा प्रार्थीनी के भाई अप्रार्थी सं. 5 के मध्य विवाद 5-6 माह पूर्व होने पर प्रार्थीनी ने गलत सिखावट से यह गलत प्रार्थना पत्र पेश किया जो निरस्त योग्य है। प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र मात्र धारा 6 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के संशोधन का गलत दुरूपयोग करने की मंशा से किया है जबकि उक्त प्रावधान का भूतलक्षी प्रभाव नहीं है। जिससे प्रार्थना पत्र इतने लम्बे समयान्तण से भी निरस्त योग्य है।

14- यह कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 5 मे वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीनी को वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगाय 4 को बेचान करने की पूर्ण जानकारी भली-भांती थी। मात्र अप्रार्थी संख्या 5 ने रास्ते एवं अप्रार्थीगण 1 लगाय 4 से उनकी भूमि की माठ व तारबंदी को लेकर विवाद करने पर तहसीलदार देसूरी, पटवारी हल्का दुदापुरा ने सही रूप से अप्रार्थीगण 1 से 4 की माठ, तारबंदी होने की रिपोर्ट बनाने पर अप्रार्थी सं 5 व उसके पुत्रों ने विधि के प्रावधानों का दुरूपयोग करने की गलत मंशा से प्रार्थीनी के जरिये गलत वाद पेश करवाया है। जबकि प्रार्थीनी पिछले 50 वर्षो से ससुराल में परिवार सहित रह रही है। प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 5 की दुरभिसंधी इन पदों मे वर्णित तथ्यों से पूर्णतया सप्ष्ट है। प्रार्थीनी का वाद खारिज योग्य है। प्रार्थीनी घोषणा, बंटवाडा, निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नही है।

15- यह कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 6 मे वर्णित समस्त तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 4 ने कभी भी प्रार्थीनी को कोई धमकी नहीं दी तथा न ही प्रार्थीनी या उसके भाई अप्रार्थी सं. 5 का वादग्रस्त आराजी या उसके किसी भी भाग पर कब्जा-काश्त है। प्रार्थीनी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। इसके विपरित इतने लम्बे वर्षो से वादग्रस्त आराजी पर मात्र अप्रार्थी संख्या 1 लगाय 4 का कब्जा-काश्त, बहैसियत खातेदार के प्रथकत तारबंदी सहित विद्यमान है जहां पर अप्रार्थीगण 1 लगाय 4 का रहवासी मकान, पशुओं का बाडा, फसल इत्यादि विद्यमान है। जिससे इतने लम्बे वर्षो बाद गलत निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को गलत नुकसान होगा जिससे भी प्रार्थीनी निषेधाज्ञा पाने की अधिकारी नहीं है।

16- इतने लम्बे वर्षो बाद प्रार्थीनी ने गलत प्रार्थना पत्र पर रिसिवर हेतु प्रस्तुत किया है। विधिनुसार तथा स[illegible] के सिद्धान्त अनुसार प्रार्थीया देरी के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी नहीं है त[illegible] रिसीवर की नियुक्ति की जा सकती है। प्रार्थीया का कब्जा [illegible] पर था ऐसा काई वर्णित नहीं जिसे भी रिसीवर नियुक्त [illegible] ही नही होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested

17- अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब प्रस्[illegible] नहीं किये जाने से अप्रार्थी संख्या 5 का जवाब का अवसर बंद किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से जवाब स्वीकृति पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र मे वणिर्त समस्त पदों वर्णित

पेज लगातार 07 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस. डी. ओ.) देसूरी (पाली)

तथ्य सही होने से उन्हें स्वीकार है। अप्रार्थी 5 और प्रार्थीया के पिता खरतारामजी का स्वर्गवास निर्वसीयती हुआ था, तत्कालीन समय में प्रार्थीया और अप्रार्थी संख्या 5 नाबालिग थे जिनकी परवरीश माता भिखी ने की। खरताजी के स्वर्गवास के बाद प्रार्थीया, अप्रार्थी संख्या 5 नवाराम और प्रार्थीया की माता भिखी में बराबर–बराबर सहखातेदारी हक अधिकार खरताजी के वारीस होने से निहित हुए थे।

18– यह सही है कि खसरा संख्या 319 से 321 की आराजी में 1/3 हिस्सा के हक अधिकारों से अधीक का करने का नवाराम कोई अधिकार नहीं था, नवाराम ने मात्र 1/3 हिस्सा की आराजी का बेचान दिनांक 21.02.1994 को किया था, शेष 2/3 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार प्रार्थीनी, माता भिखी के खातेदारी में यथावत थे, जिस पर वा काश्त करते आ रहे है। प्रार्थीनी की माता भिखी के स्वर्गवास के बाद प्रार्थीनी और अप्रार्थी संख्या 5 नवाराम का भिखी के पुत्र–पुत्री होने से 1/6 हिस्से में बहिस्सा बराबर–बराबर के खातेदारी हक अधिकार विरासत से प्राप्त हुए है। इस प्रकार प्रार्थीनी और अप्रार्थी नवाराम बतौर सहखातेदार कब्जा काश्त निरंतर करते आ रहे है।

19– यह सही है कि खरताजी के स्वर्गवास के समय प्रार्थीनी , अप्रार्थी नवाराम और प्रार्थीनी की माता भिखी वैध उत्तरजीवी उत्तराधिकारी और प्रथम श्रेणी हिन्दु वारीसान थे। जिससे 1/3 हिस्से में बराबर–बराबर के खातेदारी हक अधिकार निहित थे उक्त आराजी में प्रार्थीया की माता को निहित 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार दिनांक 09.02.2014 को भाकी के स्वर्गवास के बाद निरंतर अप्रार्थी संख्या 5 नवाराम के खातेदारी हक अधिकार चले आ रहे है जिसकी घोषणा का अप्रार्थी नवाराम अधिकारी है जो अप्रार्थी नवाराम के खातेदारी में दर्ज की जाना भी न्यायसंगत है।

20– यह सही है कि अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 04 को वादग्रस्त आराजी के खसरा नम्बर 320, 321 में मात्र 1/3 हिस्सा, खसरा संख्या 319 में मात्र 1/9 हिस्सा के खातेदारी हक अधिकार प्राप्त है। इससे अधिक अप्रार्थीगण संख्या 01 लगाय 04 का कोई हक अधिकार वादग्रस्त आराजी में नहीं है। अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 04 को प्रार्थीयां महिला काश्तकार के हक अधिकारों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है। जिससे प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीनी महिला काश्तकार का प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 01 लगाय 04 के विरूद्ध स्वीकार किया जाना न्याय संगत है।

वकुलाय की बहस सुनी गई। [illegible] अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested

1. मोहनलाल बनाम [illegible] (2) आरआरटी 882
2. फैज बनाम के.जे इन्टरनेशनल [illegible] आरआरटी 814
3. उगमकंवर बनाम नारायण 2002(2)आरआरटी 814
4. बद्रीप्रसाद बनाम कौशल्या आरआरटी [illegible]–12 पेज 662
5. भंवरलाल बनाम सरस्वती 2003(2)आरआरटी 794
6. राजेशसिंह बनाम सोवाराम 2003(2)आरआरटी 1216

पेज लगातार 08 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

वकील अप्रार्थी सुधीर श्रीमाली ने अप्रार्थी संख्या 1 से 4 अपनी ओर से बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

1. 2017(1)WLN-276(Raj.)
2. 2014(3)WLN-489(Raj.)
3. 2013(2)RRT-828
4. 2020(3)DNJ-694(Raj.)
5. 2016(2)WLN-22(SC)
6. 2009(2)RRT-1393

बहस पर मनन किया गया एवम् पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख साक्ष्य एवं न्यायिक दृष्टांतों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवम् अध्ययन किया गया। इस प्रार्थना पत्र का निस्तारण हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत तीन सिद्धान्तों

(1) प्रथम दृष्टया मामला
(2) सुविधा का संतुलन एवं
(3) अपूरणीय क्षति के परिपेक्ष्य मे प्रकरण का परीक्षण किया गया जिसका विवेचन निम्नानुसार है।

21– **प्रथम दृष्ट्या मामला**:– अस्थाई निषेधाज्ञा दिये जाने बाबत सर्वप्रथम यह स्थापित किया जाना है कि प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में है। पत्रावली में प्रस्तत राजस्व रिकॉर्ड, पंजीकृत विकय विलेख, अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के जवाब के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 से लगाय 4 व 6 स लगायत 8 वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार है। प्रार्थीया द्वारा खातेदारों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा के साथ–साथ खसरा नम्बर 320 व 321 को रिसीवरी में लिये जाने का भी अनुतोष चाहा है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 4 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख 21.02.1994 द्वारा विवादित आराजियात अप्रार्थी संख्या 5 नवाराम से कय करी जिसमें नवाराम द्वारा खसरा संख्या 320 एवं 321 का सम्पूर्ण रकबा एवं खसरा नम्बर 319 में 1/3 हिस्सा अप्रार्थीगणों को बेचान कर कब्जा सुपुर्दगी की गई। तब से आज दिनांक तक वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2073–76 के अनुसार उक्त विवादित आराजियात के खातेदार वर्तमान में अप्रार्थीगण 1 से लगायत 4 एवं 6 लगायत 9 है अप्रार्थी संख्या 5 नवाराम खातेदार नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 4 का वर्ष 1994 से आज दिनांक तक खातेदारी एवं कब्जा काश्त हैं जिसे प्रार्थीया [illegible] खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये वाद प्रस्तुत करना एवं [illegible] विकय विलेख को सक्षम न्यायालय में चेलेंज नहीं करना प्रार्थीया द्वारा 21.02.1994 [illegible] विकय विलेख को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई [illegible] विकय विलेख क निष्पादन से इन्कार भी नहीं किया गया। प्रार्थीया द्वारा लगभग 26 वर्षो पश्चात खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु एवं अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत वाद एवं प्रार्थना पत्र पेश किया। अस्थाई निषेधाज्ञा साम्या पूर्ण अनुतोष है एवं देरी साम्या का हनन करती है प्रार्थीया

पेज लगातार 09 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा अनुतोष प्राप्त करने हेतु सम्यक तत्परता नहीं दिखाई। प्रार्थीया अपने हक अधिकारों के बारे में पूर्णतया जागरूक थी। अप्रार्थी संख्या 6, 7 ने अपने जवाब में अवगत करवाया की नवाराम द्वारा केवल अपने 1/2 हिस्से का बेचान किया है एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 4 का विवादित आराजियात मे 1/9 हिस्सा विद्यमान है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 3 के द्वारा मौके के फोटोग्राफ पेश किये गये जिसमें अप्रार्थीगणों के तारबंदी मकानात, कुंए आदि दर्शाए गये है। उक्त निमार्ण कार्य के दौरान भी प्रार्थीया द्वारा किसी प्रकार का उजर नहीं लिया गया एवं कोई कूननी कार्यवाही उस समय नहीं की गई। इस प्रकार प्रार्थीया के पास कई अवसर थे जब सम्यक तत्परता दर्शाते हुए अपने अधिकारों के लिये समक्ष न्यायालय में वाद लाया जा सकता था परन्तु प्रार्थीया द्वारा तत्परता नहीं दिखाई गई। इतने वर्षो पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश करना प्रार्थीया का अप्रार्थी संख्या 5 नवाराम के साथ दुरभिसंधि किये जाने की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकश में उक्त प्रकरण का परीक्षण किया गया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत

WLN 489 रामजीलाल पाराशर बनाम विमलादेवी में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह स्थापित किया गया कि विभाजन के लिये वाद प्रस्तुत किया जाना मात्र ही अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश प्रदान करने के लिये पर्याप्त नहीं है वाद प्रस्तुत करने में देरी के तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये इस प्रकरण में अप्रार्थीगण वर्ष 1994 से विवादित आराजियात के खातेदार है एवं कब्जा काश्त है एवं लगभग 26 वर्ष बाद 2020 में प्रार्थीया द्वारा विवादित आराजियात पैतृक होने का दावा करते हुए वाद पेश किया अतः वाद पेश करने में हुई देरी का नजर अंदाज नहीं किया जा सकता एवं केवल मात्र वाद पेश करने के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा एवं रिसीवरी की कार्यवाही नहीं की जा सकती है। उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा होता है।

2013(2)RRT 828 राजस्व मण्डल अजमेर- रामेशी बनाम कंजाड एवं अन्य – में माननीय न्यालयालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि भूमि प्रार्थीया की खातेदारी दर्ज नहीं रिकॉर्डेड खातेदार के विरूद्ध टी.आई. नहीं दी जा सकती एवं प्रार्थीया कब्जा साबित करने में भी असफल रही है। अतः उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होता है।

2004 RRD पेज 133 एवं 1979 RRD पेज [illegible] राजस्व मण्डल की वृहद पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि [illegible] आधार पर क्रेता को कब्जो का अंतरण हो जाता है चाहे नामान्तरकरण [illegible] हो या नहीं। इस आधार पर कब्जा एवं काश्त अप्रार्थीगणों का है। कब्जा काश्त प्रथम दृष्टया प्रार्थीया की साबित नहीं माना जा सकता है। प्रार्थीया अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में चस्पा नहीं होता है।

पेज लगातार 10 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस डी ओ) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested

अधिनियम की धारा 212 मे वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड को देखा जाएगा वादीया द्वारा जिस आधार पर वाद दायर किया है उसके संबंध में जवाब दावा एवं साक्ष्य लेकर मूल दावे में निर्णय किया जाएगा। अतः प्राथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

22– **सुविधा का संतुलन** :– सुविधा के संतुलन के सिद्वान्त के आधार पर प्रकरण का परीक्षण किया गया। अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है एवं 26 वर्षो से कब्जा काश्त है। प्रार्थीया कब्जा साबित करने में असफल रही है। विवादित भूमि पर अप्रार्थीगणों के मकानात आदि निर्मित है। प्रार्थीया के हक में कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं पाया गया। अतः यदि अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उनको होने वाली असुविधा प्रार्थीया को होने वाली असुविधा से कहीं अधिक होगा अतः सुविधा का संतुलन अप्रार्थीगणों के पक्ष में साबित होता है।

23– **अपूरणीय क्षति** :– अप्रार्थी रिकॉर्डेड खातेदार है एवं कब्जा काश्त है। विवादित भूमि में प्रार्थीया के स्व्त्व का प्रश्न है वह मूल वाद में निर्णित किया जाएगा। प्रार्थीया अपने प्रार्थना पत्र से यह साबित करने में असफल रहीं है। वादग्रस्त आराजियात को अप्रार्थीगणो द्वारा खुर्द–बुर्द या अन्य संकमण किया जा रहा है अथवा न्याय के उददेश्यों को निष्फल करने के अनुकम में सम्पति को हरना अथवा निस्तारण करने का खतरा आसन्न है अतः अप्रार्थी के कब्जे को हटाया जाकर रिसीवर नियुक्त नहीं किया जा सकता है।

अतः यदि अप्रार्थीगणों के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाकर वादग्रस्त आराजियात को रिसीवरी में लिया जाता है तो अप्रार्थीगणों को होने वाली अपूरणीय क्षति का आंकलन वं भरपाई रूपयों पैसों से किया जाना संभव नहीं होगा। अतः उक्त बिन्दु भी अप्रार्थीगणों के पक्ष में साबित होता है।

24– उक्त तीनों सिद्धान्तों के प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सतुंलन एवं अपूरणीय क्षति अप्रार्थीगणों के पक्ष में साबित होते है। धारा 212 के प्रकरण में दावे के गुणावगुण के आधार पर निर्णय करना संभव नहीं होता। पक्षकारों के बीच अधिकारों की घोषणा दावें में ही संभव है। सद्भावी केता व रिकॉर्डेड खातेदार को रिसीवरी नियुक्त करके बेदखल करना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीया द्वारा प्रकरण का समुचित ज्ञान होते हुए भी समुचित तत्परता ... दिखाई एवं देरी से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अस्थाई निषेधाज्ञा ... साम्या का हनन करती है।

अतः न्यायालय उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझता है अतएव

पेज लगातार 11 पर...

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अप्रार्थीगण के विरूद्ध मौजा ग्राम दुदापुरा पटवार हल्का दुदापुरा के खसरा नम्बर 321, 320 कुल क्षेत्रफल 02.7600 हेक्टर संपूर्ण और खसरा नम्बर 319 रकबा 0.1000 हेक्टर का 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्सो के संबंध में एवं खसरा नम्बर 321, 320 की आराजी में रिसीवर बाबत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजलक्ष्मी गहलोत)
सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

निर्णय आज दिनांक 28/7/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Raj Laxmi Gehlot
Date: 2022.10.14 12:26:39 IST
Reason: SelfAttested